न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

अपील(नामा0) संख्या 02/2020 बउनवानी रामहरि पुत्र मोती लाल माली निवासी आलनपुर

बनाम

शंकर लाल पुत्र स्व0 केसर लाल माली निवासी आलनपुर व अन्य

जीसीएमएस संख्या :– 2020/00008

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
26.11.2024	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 10 सीपीसी पर बहस सुनी गयी। दौराने बहस वकील अपीलान्ट द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित कर निवेदन किया कि यह अपील धारा 90 क राजस्थान भू राजस्व अधिनियम,1956 के तहत गैर कृषि प्रयोजनार्थ समर्पण के आदेश जो कि प्राधिकृत अधिकारी नगर परिषद सवाई माधोपुर के प्रकरण संख्या 28/2012–13, नगर परिषद स0मा0 के आदेश क्रमांक 1182–84 दिनांक 06.01.2014 की पालना में दर्ज फैसल नामा0 संख्या 2334 दिनांक 23.01.2015 वाके ग्राम आलनपुर के विरूद्व प्रस्तुत की गयी है। प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अन्तर्गत धारा 90 क राजस्थान भूराजस्व अधिनियम,1956 के आदेश को अपीलान्ट द्वारा सम्भागीय आयुक्त महोदय भरतपुर के न्यायालय में जरिये अपील चनौती दी हुई है जो वर्तमान मे विचाराधीन है। इस प्रकार उक्त नामा0 संख्या 2334 से संबंधित मूल आदेश वर्तमान मे सम्भागीय आयुक्त महोदय भरतपुर के न्यायालय मे विचाराधीन है, जिसमे 90(क) के आदेश के सही होने अथवा गलत होने की पुष्टि माननीय न्यायालय द्वारा की जानी है। यदि माननीय न्यायालय द्वारा उक्त आदेश को सही नही माना जाता है तो यह नामा0 स्वतः ही निरस्त हो जावेगा। वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने बाबत वकील रेस्पोडेण्टगण ने भी इस शर्त पर अपनी सहमति दी गयी ,कि इस न्यायालय द्वारा पूर्व मे पारित एक पक्षीय स्थगन आदेश 21.3.2016 को प्रत्याहारित किया जावे। वकील अपीलान्ट के निवेदन पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 10 सीपीसी स्वीकार किया जाता है। इस न्यायालय के पूर्व आदेश 21.3.2016 को प्रत्याहारित करते हुए अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील दाखिल दफ्तर/खारिज की जाती है। इस प्रकरण मे अन्तिम निर्णय सम्भागीय आयुक्त महोदय भरतपुर मे जेरकार प्रकरण के निर्णय के अध्यधीन रहेगा। सम्भागीय आयुक्त महोदय के निर्णय उपरान्त यदि प्रकरण अपील योग्य बनता है तो अपीलान्ट पुनः अपील पेश कर सकता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आदेश सुनाया गया । Signature Not Verified Digitally signed by Shubham Chaudhary Date: 2025.06.25 18:00:47 IST Reason: SelfAttested (शुभम चौधरी) जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner